माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में पटना शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधा संबंधित समस्याओं एवं भविष्य के लिए संभावित कार्य योजना पर विचार विमर्श हेतु दिनांक– 16.08.2017 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– संलग्न।

सर्वप्रथम माननीय मंत्री द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पटना शहरी क्षेत्र के माननीय जन–प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र में जल जमाव की समस्या एवं उसके समाधान हेतु सुझाव देने का अनुरोध किया गया।

माननीय विधायक, पटना सहिब–सह–माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा पटना सिटी क्षेत्र के वार्ड नं०– 54 एवं 57 में जल जमाव की समस्या का उल्लेख किया गया। नीम की भट्टी, गुलजारबाग हाट, ब्रह्मस्थान, स्टेशन रोड से मीना बाजार, गुरू गोविन्द सिंह पथ, छटंकी पुल, परशुराम कॉलोनी, विकास कॉलोनी, आदिवासी कॉलोनी आदि में जल जमाव की समस्या बतायी गई। यह भी बताया गया कि नीम की भट्टी के पास नाला क्षतिग्रस्त हो गया है। गुलजारबाग हाट ब्रह्मस्थान से पश्चिम अतिक्रमण के कारण नाला छोटा हो गया है।

निदेश दिया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम द्वारा तीन दिनों के अंदर नगर आयुक्त से विमर्श कर पानी की निकासी सुनिश्चित करायी जाएगी। इसके लिए तत्काल 10–15 HP का दो–तीन पम्प यदि नगर निगम में उपलब्ध न हो तो भाड़े पर लेकर उसका उपयोग किया जाय। पुनः बारिश होने एवं जल जमाव होने पर यही प्रक्रिया दोहरायी जाय। नालों पर अतिक्रमण हटाने हेतु विधिसम्मत कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन–कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल)

2. माननीय विधायक, बाँकीपुर द्वारा कंकड़बाग में जल जमाव की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए वार्ड नं०– 30, 31, 32, 33, 44 तथा 45 में अधिक जल जमाव होने का उल्लेख किया गया। मुख्य रूप से बंगाली टोला, जगनपुरा, इंदिरा नगर, अशोक नगर, राम लखन पथ, महावीर कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर, भागवत नगर एवं नगीना नगर में भीषण जल जमाव का उल्लेख किया गया। यह भी बताया गया कि न्यू बाईपास पर मीठापुर से नंदलाल छपरा तक पथ निर्माण विभाग द्वारा नाला बनाया जा रहा है, जिसकी गहराई कम है। NBCC नाला के Capicity के अनुरूप उसमें Connection नहीं है। कई क्षेत्रों के छोटे नालों का Connection करने से जल जमाव की समस्या का निदान होगा। यह भी बताया गया कि 2014 तक जगनपुरा की जल निकासी हेतु Culvert का नाला खोल दिया जाता था, जिससे पूरा पानी बादशाही पाईन के रास्ते निकल जाता था। अब न्यू बाईपास के दक्षिण धनी आबादी के कारण लोग इसका विरोध करने लगे है।

निदेश दिया गया कि पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन नाला को मुख्य अभियंता, पटना नगर निगम देखेंगे और उसकी गहराई के संबंध में प्रतिवेदित करेगें कि उक्त नाले से उस क्षेत्र का सारा पानी निकल सकेगा या नहीं। पर्याप्त मात्रा में पम्प लगाकर उन सारे क्षेत्रों में जल निकासी किया जाय, जो वर्त्तमान में जल जमाव से प्रभावित है। नगर आयुक्त को निदेश दिया गया कि निविदा निकालकर बड़े आकार के अतिरिक्त पम्पों का क्रय किया जाय। NBCC नाले में Connectivity के संबंध में जाँच कर

आवश्यक कार्रवाई की जाय। जगनपुरा क्षेत्र की जल निकासी हेतु निदेश दिया गया कि नगर आयुक्त अपने पदाधिकारियों एवं माननीय विधायक के साथ उस क्षेत्र का भ्रमण अगले दिन करेगे तथा न्यू बाईपास के दक्षिण के निवासियों को आश्वत करते हुए कच्चा नाला कटवाकर बादशाही पईन में मिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगे।

(अनुपालन–नगर आयुक्त, पटना नगर निगम एवं मुख्य अभियंता, पटना नगर निगम)

3. माननीय उप महापौर द्वारा अशोक नगर जीरों प्वांइट संप में नालों की Connectivty को दिखाने का प्रस्ताव रखा गया। निदेश दिया गया कि संबंधित कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम इस क्षेत्र के सभी नालों को संप में Connect करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम)

4. माननीय उप महापौर द्वारा बताया गया कि पथ निर्माण विभाग द्वारा पथों के निर्माण के दौरान नालों के चैम्बर को ढक दिया जाता है। भट्टाचार्या रोड के पास 5 फीट नीचे से चैम्बर निकाला गया है, जिससे पानी की निकासी हो रही है। निदेश दिया गया कि सभी पथों के नीचे दबे हुए चैम्बर/मेन हॉल की पहचान कर उसे साफ कराया जाय।

(अनुपालन–नगर आयुक्त, पटना नगर निगम)

5. ट्रांसपोर्ट नगर सम्प हाऊस की योजना स्वीकृत है। बिहार राज्य जल पर्षद को निदेश दिया गया कि बरसात के बाद अक्टूबर में इसका शिलान्यास कराया जाय।

(अनुपालन–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना)

6. धनुकी मोड़ स्थिति सम्प हाऊस काफी पुराना होने की चर्चा हुई। बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि इसमें 25 एच०पी० का मोटर है। साथ ही अतिक्रमण भी है। संदलपुर एवं रामपुर सम्प हाऊस का Capicity भी वर्त्तमान में कम बताया गया। निदेश दिया गया कि सम्प हाऊस का Capicity बढ़ाने की कार्रवाई की जाय एवं प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना)

7. माननीय विधायक, दीघा द्वारा बताया गया कि उनके विधान सभा क्षेत्र में सरिस्ताबाद, पुलिस कॉलोनी, राजीव नगर रोड नं०– 23 एवं 24, नेपाली नगर, बाबा चौक नाला, पटेल नगर टेलिफोन एक्सचेंज से गाँधी मूर्ति के बीच रोड नं०– 2, 3, 4 एवं 5, शिवपुरी, दीघा पोस्ट आफिस, फ्रेंड्स कॉलोनी, आशियांना रोड में पासपोर्ट ऑफिस के पास, गोकुल पथ तथा अदालतगंज मलिन बस्ती जल जमाव से विशेष रूप से ग्रसित है।

डूडा, पटना–2 के कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि दीघा आशियाना रोड में नाला की योजना स्वीकृत हुई है, जिसकी निविदा भी हो गई है, उसमें तत्काल कच्चा नाला काट दिया जाय ताकि राजीव नगर रोड नं०– 23, 24 का पानी निकल सके। कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम को निदेश दिया गया कि पासपोर्ट अफिस के पास मात्र 2 पाईप लगाने से जल जमाव की समस्या दूर हो जाएगी इसलिए तुरंत इस कार्य को पूर्ण करें। गोकुल पथ में पूर्व निर्मित नाले का Capacity की जाँच कराकर तद्नुसार कार्रवाई की जाय। राजीव नगर, इंद्रपुरी एवं महेश नगर में पूर्व से निर्मित Box Drain के साथ कच्चा नाला से इलाके के जल जमाव की समस्या के समाधान के संबंध में जाँच करायी जाय।

(अनुपालन– कार्यपालक अभियंता, डूडा–02, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम)

अंत में माननीय मंत्री द्वारा निम्नांकित निदेश दिए गए :–

i. जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु फिलहाल तात्कालिक कार्रवाई पर विचार किया गया है। सभी क्षेत्रों में जल जमाव होने पर पम्पिंग कर अथवा कच्चा नाला काटकर जल निकासी का प्रबंध किया जाय। यह कार्रवाई चौबीसो घंटे जारी रहे।

ii. इस प्रकार की बैठक प्रत्येक माह आयोजित होंगी। अगली बैठक के पूर्व जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु स्थायी कार्यक्रम तैयार किए जाएँ। किन स्थानों पर नए नालों के निर्माण की आवश्यकता है तथा कहाँ पुराने नालों के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है उसका आकलन कर लिया जाय।

iii. जिन क्षेत्रों में पूर्व से निर्मित सम्प हाऊस के Capacity वृद्धि की आवश्यकता हो उसका भी आकलन कर विभाग को प्रस्ताव भेजा जाय।

iv. पूरे पटना शहर के Drain Network का मास्टर प्लान तैयार कराया जाय तथा सभी मेन होल, कैचपिट एवं चैम्बर की मरम्मति/सफाई की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

v. अतिक्रमित नालों से अतिक्रमण को हटाने हेतु शीघ्र विधिसम्मत कार्रवाई की जाय।

आगामी बैठकों में पथ निर्माण विभाग के पटना क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता तथा ऊर्जा विभाग के संबंधित अभियंता को आमंत्रित करने का निदेश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

21/8/2017

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/बैठक०–04–01/2017 5509 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 22/8/17

प्रतिलिपिः– मानीनय मंत्री, पथ निर्माण विभाग–सह–सदस्य, बिहार विधान सभा, पटना साहिब के आप्त सचिव/श्री अरूण कुमार सिन्हा, माननीय स०वि०स०, कुम्हरार विधान सभा क्षेत्र/श्री नितिन नवीन, माननीय स०वि०स०, बाँकीपुर विधान सभा क्षेत्र/श्री संजीव चौरसिया, माननीय स०वि०स०, दीघा विधान सभा क्षेत्र/माननीय महापौर एवं माननीय उप महापौर, पटना नगर निगम को सूचनार्थ प्रेषित।

21/8/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/बैठक०–04–01/2017 5509 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 22/8/17

प्रतिलिपिः– नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/सभी विभागीय पदाधिकारी/मुख्य अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी– 02, 03 एवं 04/आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

21/8/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/बैठक०–04–01/2017 5509 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 22/8/17

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

21/8/2017

सरकार के प्रधान सचिव।